Dy. No. 5897
Date 12/6/17

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF POLICE, SOUTHERN RANGE, HIMACHAL PRADESH, NIGAM VIHAR, SHIMLA-2

No.C-2-38/Standing Order /17- 4508 Dated- 26/5/17

To

The Superintendent of Police,
Kinnaur, district Kinnaur at Reckong Peo.

Subject: **SOP regarding disposal of viscera.**

Sir,

Please refer to your office letter no. Reader/17-13507 dated 18.5.2017, on the subject cited above.

2. SOP has been approved by the worthy IGP/SR and a copy of the same is enclosed herewith for information and further necessary action.

Yours faithfully,

26/5/17

for/Inspector General of Police,
Southern Range, Shimla-2.

- Seen
- Reader for n/a
- DCRB to upload on Website.

9/6

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओं

क्रमांक–   दिनांक–

विषयः–   विसरा को निपटान करने के सम्बन्ध में (SOP) निर्धारित निष्पादित प्रकिया ।

दिनांक 9–3–2017 को प्रधान सचिव (गृह)हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में विसरा का निष्पादित करने के सम्बन्ध में एक बैठक का आयोजन किया गया। गांव जुन्गा के लोगों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि राज्य न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला जुन्गा से विसरा का परीक्षण करने के बाद भिन्न –भिन्न जिला के पुलिस कर्मचारी विसरा को पार्सल सहित सडक के किनारे जंगलों में फैंक देते हैं जिससे कई तरह के बीमारियों का फैलने का खतरा बना रहता है। इस बैठक के दौरान अध्यक्ष महोदय ने फैसला लिया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेश की तीनों पुलिस रैंजों में विसरा व अन्य सैम्पलों के लिए एक–एक Collection center स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। दक्षिणी खण्ड के लिए पुलिस चौकी जुन्गा में विसरा व Bio medical waste room स्थापित करने के लिए पुलिस मुख्यालय शिमला से पुलिस अधीक्षक जिला शिमला के लिए पत्राचार किया गया है। जैसा कि आपको विदित है कि investigation Agency द्वारा हत्या, ज्ञातवत घात, आप्रकृतिक मौतों व जहर खुरानी के मामलों इत्यादि में मृत्कों का विसरा प्रिर्जव करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों से आवेदन किया जाता है। भौतिक साक्ष्य अन्वेषणाधिकारी के लिए लाभप्रद होता है, विसरा को चिकित्सा अधिकारी से प्रिर्जव करवाएं, रसायनिक परीक्षण हेतू प्रयोगशाला में भेजने के लिए विसरा के प्रदर्शों को चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त करते समय राज्य न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला जुन्गा को भेजने से पूर्व थाना में सुरक्षित रखने, राज्य न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला जुन्गा में भेजने/पहुंचाने, प्रयोगशाला परीक्षण के बाद वापिस पुलिस थाना तक लाने व Designated Bio medical waste room में जमा करवाने, विसरा की राज्य न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला जुन्गा से अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने तक तथा अन्त में विसरा को नियमानुसार नष्ट करने में कोई चुक होती है तो पीडित पक्ष को न्याय नही मिलता तथा दोषी व्यक्ति को लाभ मिलेगा। विसरा को सुरक्षित रखना पुलिस विभाग का कार्य है तथा यह एक अति संवेदनशील कार्य है इसलिए शव को शव परीक्षण के लिए भेजने से लेकर विसरा के प्रदर्शों को चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त करते समय, थाना में जमा करने व सुरक्षित रखने, राज्य न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला जुन्गा को भेजने, जमा करवाने, रसायनिक परीक्षण के बाद वापिस लाने, Designated Bio medical waste room में जमा करवाने तथा FSL रिपोर्ट की प्राप्ती के बाद विसरा को नष्ट करने तक किन–किन बिन्दुओं पर ध्यान देना है के सम्बन्ध में विसरा का निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये जाते है।

1. शव को शव विच्छेदन के लिए भेजते समय फार्म 25.35 ए0बी0सी0 व 25.39 को ठीक प्रकार से पूर किया जाये तथा चिकित्सा अधिकारी से जो राय लेनी है का स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाए ।
2. चिकित्सा अधिकारी से विसरा के प्रदर्शों को प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदर्श ठीक प्रकार से सील किए हैं या नही, प्रदर्शों के बाहर यह लिखा हो कि प्रदर्श के अन्दर क्या प्रिर्जव किया गया है तथा मृत्क का नाम / पता व चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर हों। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि चिकित्सा अधिकारी ने डाकेट में प्रदर्शों/सील का वर्णन प्रदर्शों के अनुरूप वर्णन किया है या नही। डाकेट के साथ नमुना मोहर अवश्य प्राप्त करें।
3. यदि शव विच्छेदन के बाद चिकित्सा अधिकारी विसरा के प्रदर्शों को आईन्दा कल प्राप्त करने को कहेगा तो उसकी रिपोर्ट सम्बन्धित पुलिस कर्मचारी की वापसी पर रोजनामचा में अंकित की जाए।
4. एम0एच0सी0 थाना विसराजात का इन्दाज सम्बन्धित रजिस्टर में करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि चिकित्सा अधिकारी ने विसराजात के बाहर व डाकेट में जो–जो वर्णन किया है का उसी प्रकार वर्णन हो।

5. हत्या व ज्ञातवत घात के अभियोगों व अप्राकृतिक मौतों में जहां मौत का कारण स्पष्ट नही हो पाता है उन अभियोगों में सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी को मृत्कों का विसरा प्रिर्जव करने के लिए तत्काल पत्राचार किया जावे।

6. भिन्न–भिन्न प्रकार की मौतों में सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी से विसरा प्राप्त होने पर पुलिस थाना/पुलिस चौकियों में रोजनामचा में विस्तृत रिपोर्ट निम्न प्रकार से दर्ज की जाए।

(a) मृत्क का नाम, सम्पूर्ण पता

(b) विसरा किस चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रिर्जव किया गया, चिकित्सा अधिकारी की किस मोहर से सर्वमोहर किया गया व मोहरों की संख्या इत्यादि।

(c) विसरा प्रिर्जव करने की तिथि।

(d) विसरा प्रिर्जव करने के बाद पुलिस को सौंपने की तिथि व समय।

(e) विसरा प्रिर्जव करने के बाद किस मुलाजमान द्वारा थाना में लाया गया, उस मुलाजमान का रैंक, नं0 इत्यादि व दिनांक एवम समय का इन्द्राज रोजनामचा में किया जावे।

(f) पुलिस थाना में विसरा के प्रदर्शों को जमा करने के बाद, दिनांक व समय जब MHC के हवाले किया गया का पूर्ण विवरण।

(g) MHC द्वारा विसरा कहां व किस स्थान पर सुरक्षित रखा गया का भी रोजनामचा में विवरण दिया जाए।

7. विसरा को थाना/चौकी में प्राप्त होने पर तत्काल बिना विलम्ब राज्य न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला जुन्गा डाकेट बनाकर विशेषज्ञ की राय जानने के लिए विशेष सम्वाहक द्वारा भेजा जावे।

8. विसरा को मय डाकेट राज्य न्यायालिक राज्य विज्ञान प्रयोगशाला जुन्गा किसी जिम्मेवार पुलिस मुलाजमान को नियुक्त किया जावे तथा उस मुलाजमान की रोजनामचा में विशेष हिदायत देकर रवानगी की जावे।

9. विशेष सम्वाहक विसरा के प्रदर्शों के साथ रास्तें में किसी भी प्रकार की छेड़छाड नही करेगा तथा विसरा को सुरक्षित रखने/पहुंचाने का पूर्ण जिम्मेवार होगा।विशेष सम्वाहक विसरा को मय डाकेट राज्य न्याायालिक विज्ञान प्रयोगशाला जुन्गा सुरक्षित रूप से जमा करने का पूर्ण उत्तरदायी होगा।

10. विसरा को मय डाकेट राज्य न्यायालिक प्रयोगशाला जुन्गा जमा करने के पश्चात वापसी में रोजनामचा में पूर्ण रिपोर्ट दर्ज की जाए कि विसरा को किस तिथि व समय राज्य न्यायालिक प्रयोगशाला जुन्गा में जमा किया गया।

11. विसरा का राज्य न्यायालिक प्रयोगशाला जुन्गा में विशलेषण होने के बाद जैसे ही रसायनिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए थाना/ चौकियों में पत्राचार किसी भी माध्यम से प्राप्त होता है तो तुरन्त बिना विलम्ब एक जिम्मेवार पुलिस मुलाजमान को विसरा व अन्य रसायनिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया जावे।

12. विशेष सम्वाहक की विसरा व अन्य रसायनिक रिपोर्ट राज्य न्यायालिक प्रयोगशाला जुन्गा से प्राप्त करने के बारे में रोजनामचा में रवानगी तत्काल विशेष निर्देश सहित की जावे तथा इस कार्यालय द्वारा जारी पृष्ठाकन संख्या 12795–808 दिनांक 11–5–17 में दिए गए दिशा निर्देशों की पालना करना सुनिश्चित किया जावे।

13. विशेष सम्वाहक राज्य न्यायालिक प्रयोगशाला जुन्गा से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात विसरा के Sample नमुनों व रिपोर्ट की छायाप्रति को पुलिस चौकी जुन्गा (Bio medical waste room)में जमा करेगा तथा इसकी रिपोर्ट रोजनामचा में अंकित करेगा।

14. मृत्कों की मौतों में राज्य न्यायालिक प्रयोगशाला जुन्गा से रसायनिक परीक्षण व विसरा की रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथा शीघ्र सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी से मौत के कारणों के बारे में सम्बन्धित अन्वेषणाधिकारी अन्तिम राय प्राप्त करेगा।

15. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी से मृत्कों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौतों के कारणों के बारे में अन्तिम राय प्राप्त करके प्रभारी थाना/चौकी एक माह के अन्दर प्रभारी Bio medical waste room Junga को सुचित करने का पूर्ण जिम्मेवार होगें।

16. पानी में डुबने व अन्य कारणों से हुई मौतों जिसमें Investigating Agency मैडिकल परीक्षण की अन्तिम रिपोर्ट व राज्य न्यायालिक प्रयोगशाला जुन्गा के विशेषज्ञ की रिपोर्ट से सन्तुष्ट न हो तो विसरा को मौत के अन्तिम निष्कर्ष परिणाम प्राप्त होने तक सुरक्षित रखा जाएगा। उसके पश्चात विसरा को दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार नष्ट किया जाएगा।

17. उपरोक्त के अतिरिक्त पोस्टमार्टम के दौरान जो सैम्पल जहर खुरानी के मामलों के अलावा निजी पहचान जैसे DNA के लिए प्राप्त किया जाता है को मामला के अन्तिम फैसले तक सुरक्षित रखा जाएगा तथा तत्पश्चात उस सैमपल को Bio medical waste द्वारा नष्ट किया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक
जिला किन्नौर स्थित रिकांग पिओ।

पृष्ठांकन सं0: 13491-506 दिनांक : 18-5-2017

1. प्रतिलिपि उप–पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, जिला पुलिस निरीक्षक, समस्त प्रभारी थाना/ चौकीयात एवं प्रभारी विशेष अन्वेषण युनिट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है ।

2. पुलिस महानिरीक्षक दक्षिण खण्ड शिमला को पुलिस मुख्यालय हि0प्र0 के ज्ञापन संख्या 7756–7759 दिनांक 9.5.2017 विषय उपरोक्त के संदर्भ में सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ सेवा में प्रेषित है ।

पुलिस अधीक्षक,
जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ।

अनुमोदित
पुलिस महानिरीक्षक,
दक्षिणी क्षेत्र, शिमला-2.